बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर–तारामंडल
बेली रोड, पटना–800001
निविदा आमंत्रण सूचना सं0–02

इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर तारामंडल पटना की सुरक्षा व्यवस्था हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए कुशल एवं अर्धकुशल दैनिक 20 पुरूष / महिला सुरक्षा प्रहरी एवं सुपरवाईजर की आवश्यकता है । इस निमित तारामंडल पटना गृह विभाग बिहार सरकार, से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठानों एवं ख्याति प्राप्त एजेंसीयों से अनुबंध के आधार पर टू–बिड सिस्टम (टेकनिकल बीड एव फाईनेनसियल बीड) के माध्यम से निविदा आमंत्रित करती है। निविदा प्रपत्र(Tender document)www.bcst.org.in अथवा http://dst.bih.nic.in से Download की जा सकती है। निविदा भरकर जमा करने की अन्तिम तिथि 29–06–18 को 3.30 अपराहन तक है।

7/6/18
परियोजना निदेशक
बी0सी0एस0टी0, पटना
दूरभाष– 0612–2235264
0612–2508264

TAR-10

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर–तारामंडल
बेली रोड, पटना–800001
निविदा आमंत्रण सूचना स–02

इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर तारामंडल पटना की सुरक्षा व्यवस्था हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए कुशल एवं अर्धकुशल दैनिक 20 पुरूष/महिला सुरक्षा प्रहरी एवं सुपरवाईजर की आवश्यकता है। इस निमित तारामंडल पटना गृह विभाग बिहार सरकार, से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठानों एवं ख्याति प्राप्त एजेंसीयों से अनुबंध के आधार पर टू–बिड सिस्टम (टेकनिकल बीड एव फाईनेनसियल बीड) के माध्यम से निविदा आमंत्रित करती है।

क्रम सं0	निविदा सम्बंधी सूचना	अर्नेस्ट मनी
1.	ठेका के आधार पर सुरक्षा सुपरवाईजर –1 (कुशल)	1,00,000.00 (one lakh only)
2.	ठेका के आधार पर पुरूष सुरक्षा कर्मी–17(अर्ध कुशल)	
3.	ठेका के आधार पर महिला सुरक्षा कर्मी–2(अर्ध कुशल)	
4.	Non Refundable (निविदा प्रपत्र की राशि)	5000.00 (Five thousand only)

निविदा नियमावली एवं फॉर्म इदिरा गाँधी विज्ञान परिसर–तारामंडल पटना से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में रू0 5000/–(पॉच हजार) बैकर्स चेक/ड्राफ्ट/द्वारा भुगतान कर दिनांक–12.06.2018 के अप0 2.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
कर्मियों के भुगतान का दर श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के आलोक में कुशल/अर्धकुशल मूजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर एवं उस पर ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 के अतिरिक्त यदि कोई अन्य कर हो तो, के अंशदान की राशि के साथ प्रति सुरक्षाकर्मी प्रतिमाह/प्रतिदिन (26 दिनों के आधार पर) भुगतेय पारिश्रमिक का उल्लेख अवश्य हो। इससे कम दर पर दिये गये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रस्ताव का समर्पण – इच्छुक एजेन्सी द्वारा प्रथम लिफाफे में निविदा नियमावली में निर्धारित प्रपत्र–1 (टेकनीकल बीड) को भरकर अपने क्रेडेनसीयल के साथ निर्धारित अग्रधन की राशि बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट एवं निविदा प्रपत्र की राशि का मनी रसीद की प्रति संलग्न करते हुए द्वितीय लिफाफे मे निविदा नियमावली में निर्धारित प्रपत्र– II (फाईनेन्सीयल बीड) में प्रस्तावित दर अंकित कर इन दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में डालकर अंतिम तिथि दिनांक–14.06.2018 समय 03:30 बजे अपराहन (कार्यदिवस में) तक इंदिरा गाधी विज्ञान परिसर–तारामंडल कार्यालय, पटना में जमा किया जाना है।
समर्पित प्रस्ताव के आंशिक भाग/सपूर्ण भाग को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार परियोजना निदेशक इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर– तारामंडल के पास सुरक्षित होगा। कार्यादेश निर्गत किये जाने के पश्चात यदि चयनित प्रतिष्ठान/एजेंसी के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर कर्मी उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो वैसी स्थिति में प्रतिष्ठान/एजेंसी के द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी एवं कार्यादेश L-2 Agency को निर्गत कर दिया जायेगा। प्रथम बार यह कार्य एक वर्ष के लिए दिया जायेगा तथा कार्य संतोषप्रद रहने पर आवश्यकतानुसार सेवा विस्तार भी किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार सुरक्षा प्रहरी की सख्या मे 25 प्रतिशत की बृधि अथवा कमी की जा सकती है। संतोषप्रद कार्य नहीं होने की स्थिति में एक माह के नोटिस पर सेवा समाप्त कर दी जा सकती है।

7/6/18
परियोजना निदेशक
बी0सी0एस0टी0, पटना
दूरभाष– 0612–2235264
0612–2508264

TAR-1

निविदा की शर्ते–

1 निविदादाता को इस तरह के व्यवसाय में (सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानो मे) कार्य करने का कम से कम पाच वर्षो का अनुभव होना चाहिये।

2 सुरक्षा एजेंसी द्वारा आठ–आठ घंटे के लिए सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराई जायेगी जो परियोजना निदेशक अथवा उनके द्वारां अधिकृत पदाधिकारी/कर्मी के अधीन कार्य करेगें एवं इनके निर्देशो का पालन करेगे। विशेष परिस्थिति को छोड़कर प्रत्येक सुरक्षा कर्मी लगातार आठ घंटे से अधिक की ड्यूटी का निर्वाहन नहीं करेगे।

3 सुरक्षा प्रहरी को साफ सूथरा वर्दी, जूता बेल्ट, टोपी, से सुसज्जित कराकर ही कार्य कराना सुरक्षा एजेसी की जवाबदेही होगी। रात्रि पाली मे कार्यरत सुरक्षा प्रहरी को टार्च उसका बैट्री, छाता तथा ,लाठी आदि उपलव्ध कराना सुरक्षा एजेसी की जवाबदेही होगी।इस का व्यय तारामडल प्रवधन द्वारा नही किया जायगा।

4 सुरक्षा एजेंसी के पास मजदुरी अधिनियम के अन्तर्गत यथा P.F. Registration, ESI Registration, GST Registration, PAN NO- लेबर लाईसेन्स एवं बिहार सरकार गृह विभाग से प्राप्त निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने की अनुज्ञप्ति(PASARA Licence) का होना अनिवार्य है,। ISO Certification Optional होगा।

5 भुगतान का दर Labor department बिहार सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम पारिश्रमिक दर एवं उसपर ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं अन्य करों के अंशदान की राशि के साथ प्रति सुरक्षा कर्मी का प्रतिमाह/प्रतिदन (26 दिनों की गणना के आधार पर) की दर से भुगतेय पारिश्रमिक का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

6 सुरक्षा एजेंसी के द्वारा प्रतिनियोजित सुरक्षा प्रहरी यथासंभव (कुशल/अर्धकुशल) सुरक्षा कार्य में दक्ष जो बीस से चालीस वर्ष की आयु सीमा के बीच में होगे।

7 परिसर में ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेयास्त्र लेकर प्रवेश वर्जितहै जिसे रोकने की पूण जबावदेही सुरक्षा एजेंसी की होगी।

8 सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा कार्य में लगे कर्मीयो की सूची परियोजना निदेशक को समर्पित करनी होगी तथा विशेष परिस्थिति में सुरक्षागार्ड कीं बदली परियोजना निदेशक के पूर्वानुमति के बगैर नहीं की जा सकेगी।

9 सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षागार्डो को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित (कुशल/अर्धकुशल) न्यूनतम मजदूरी का भूगतान सुनिश्चित करना होगा।

10 सुरक्षा एजेन्सी को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से कार्य को सब–लेट करने का अधिकार नहीं होगा।

11 सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा के निमित रखे गये कार्मिक का व्यवहार एवं चरित्र उतम कोटि का होना चाहिए।

12 सुरक्षा एजेंसी अथवा उनके कर्मियों द्वारा कार्य स्थल में किसी प्रकार के गैर कानूनी अथवा प्रतिबन्धित कार्य नहीं किया जायेगा । ऐसा करते पाये जाने पर उनका कार्यादेश रदद कर दिया जा सकत है।तथा आवश्यकतानुसार यथोचित वैधानिक कारवाई भी संस्थान द्वारा की जा सकती है।

13 सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा के निमित रखे गये कार्मिक इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर–तारामंडल के कार्मिक नहीं कहलायेगें। सुरक्षा एजेंसी की यह जिम्मेवारी होगी कि अपने अधिनस्थ रखे गये कर्मचारियों को श्रम कानून के अन्तर्गत निर्धारित आर्हतायें पूरा करेगें। उससे सम्बन्धित सभी प्रकार की वैधानिक शुल्क की राशि सुरक्षा एजेंसी के द्वारा संम्बन्धित विभाग में जमा कराई जायेगी। यथासंभव कार्यरत कर्मी की बीमा भी करानी होगी।

14 सुरक्षा एजेंसी श्रम कानुन से सम्बन्धित सभी नियमों प्रावधनों का कठोरता से पालन करेगे। श्रम कानून से उठने वाले सभी प्रकार के वादों की पूर्ण जावबदेही सुरक्षा एजेंसी की होगी। सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा निमित रखे गये कार्मिक के व्यवहार लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं DISHONESTY आदि के कारण यदि सम्पति को किसी भी प्रकार का नुकासान होता है तो इसकी पूर्ण भरपाई सुरक्षा एजेंसी द्वारा की जायेगी।

15 सुरक्षा एजेंसी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह मे अपने मासिक भुगतान का विपत्र इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर–तारामंडल को समर्पित करेगे। इन समर्पित विपत्रों पर सुरक्षा कर्मियों के कार्य एवं उपस्थिति के आधार पर नियमानुकूल आयकर की कटौति कर तारामंडल कार्यालय द्वारा भुगतान की कारवाई की जायगी।

16 सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा के निमित रखे गयें कार्मिकों द्वारा उठाय गये किसी भी प्रकार का विवाद एवं दुर्घटना आदि के विरूद्ध कम्पनशेसन की राशि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेवारी चयनित सुरक्षा एजेसी की होगी।

17 सुरक्षा एजेंसी द्वारा श्रम कानून, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कम्पनी अधिनियम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। इसकी पूरी जावबदेही सुरक्षा एजेंसी की होगी।

18 सुरक्षा एजेंसी द्वारा किये गये किसी भी शर्तो के उल्लघन में तारामंडल कार्यालय निम्नवत कारवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी–

(क) सुरक्षा एजेंसी का कार्यादेश तारामंडल कार्यालय कभी भी बिना कारण बताये रदद कर देगा।
(ख) तारामंडल कार्यालयं द्वारा सुरक्षा एजेंसी के द्वारा जमा किए गये अग्रघन की राशि तथा रखे गये सभी सामानों एवं उपकरकों को जब्त कर लिया जायेगा।
(ग) तारामंडल कार्यालय विशेष परिस्थिति में Agency के विरूद्व दण्ड भी लगा सकेगा।

19 सुरक्षा एजेंसी द्वारा रखे गये सुरक्षा कर्मियों को आपदा की स्थिति में किसी भी परिस्थिति से निपटने में निपूण होना चाहिए।

20 सुरक्षा एजेंसी द्वारा रखे गये सुरक्षाकर्मी को बैरक की सुविधा एजेन्सी को अपने खर्च पर उपलब्ध करानी होगी

21 सुरक्षा एजेंसी द्वारा रखे गये कर्मियों का पहचान पत्र निर्गत करना होगा, जिसकी एक प्रति तारामंडल कार्यालय को उपलव्ध कराना होगा।

22 किसी भी वाद विवाद का निपटारा का क्षेत्र न्यायालय, पटना होगा।

23 उपरोक्त नियम के पालन के अलावा यदि किसी प्रकार फेरबदल की आवश्यकता तारामंडल कार्यालय के व्यवसाय हित में करना होगा तो उस आदेश का पालन भी एजेंसी को करना होगा।

24 चयनित सुरक्षा एजेंसी को आदेश निर्गत से पूर्व रू0 1,00,000.00 (एक लाख) जमानत की राशि जमा करना होगा जो सेवा समाप्ति के पश्चात उनके मॉग पर बिना सूद वापस की जायेगी।

25 सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रत्येक माह को कर्मियों से काट कर जमा की गई इ0पी0एफ0, इस0एस0आई0,तथा संस्थान द्वारा भुगतान किए गये जी0एस0टी0 का जमा रसीद प्रत्येक माह/तीन महीने पर कर्मीयों के नाम से अलग अलग ई0पी0एफ0 ,ई0एस0आई0 नम्बर के विवरणी के साथ तारामंडल कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा उनका अगले माह का भुगतान रोक दिया जायेगा।

25 सुरक्षा कर्मी प्रतिदिन आगमन एवं प्रस्थान के समय Agency के अलावे तारामंडल कार्यालय में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें, तथा इसी के आधार पर Agency को भुगतान प्राप्त होगा। देर से आने पर प्रति घंटा औसत की दर से कर्मी के दैनिक भुगतान में कटौति की जा सकेगी

....

TECHNICAL BID

अनुबन्ध के आधार पर सुरक्षा प्रहरी की कार्य सेवा हेतु आवेदन पत्र

लिफाफा नं0–1 प्रपत्र– क (Technical Bid)

1. निविदा संख्याः–

2. निविदादाता का नामः–

3. वर्तमान पताः–
   (दूरभाष सहित)

4. स्थाई पताः–
   (दूरभाष सहित)

5. अर्नेस्ट मनी राशि की विवरणीः–

   रकम....................डीडी नं0 / बैंकर्स चेक नं0..........................

   दिनांक.........................बिना अर्नेस्ट मनी के राशि के निविदा मान्य नहीं होगी।

6. नन–रिफंडेबूल राशि (निविदा नियमावली एवं प्रपत्र क्रय की राशि)

   रकम..................रसीद नम्बर......................दिनांक.............................

   (बैंकर्स चेक / बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करने पर प्राप्त मनी रसीद की छायाप्रति संलग्न करना है)।

7. आवेदन के साथ निम्नांकित आवश्यक क्रकेडेनिशियल / अभिलेख / प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रत संलग्न की जानी है–
   - लेबर लाईसेस नं0– (कागजात संलग्न करें)
   - ई0पी0एफ0 कोड नं0– (कागजात संलग्न करें)
   - ई0एस0आई0 कोड नं0– (कागजात संलग्न करें)
   - जी0एस0टी0 के अधीन निबंधन सं0– (कागजात संलग्न करें)
   - बिहार सरकार, गृह विभाग, से प्राप्त निजि सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने की अनुज्ञप्ति नं0– (कागजात संलग्न करें)
   - पैन कार्ड नं0– (कागजात संलग्न करें)
   - आवेदन की अर्थिक सुदृढ़ता के मूल्यांकन हेतु बैकर द्वारा निर्गत बैंकर्स प्रमाण पत्र– (कागजात संलग्न करें

- न्यूनतम विगत पॉच वर्ष तक कार्य करने तथा सरकारी/ अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों में सेवा प्रदान करने का प्रमाण पत्र।– (कागजात संलग्न करें)

- जिला अधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र इन्कम टैक्स रिटर्न (अद्यतन तीन वर्ष जिसमें न्यूनतम एक करोड प्रति वर्ष का टर्न ओभर होना आवश्यक है– (कागजात संलग्न करें)

- आवासी पता का प्रमाण पत्र यथा राशन कार्ड की छायाप्रति, चुनाव आयोग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस या अन्य प्रमाण पत्र की छाया–प्रति– (कागजात संलग्न करें)

8 आवेदक का अण्डरटेकिंगः–

मेरे द्वारा टेण्डर नियमावली एवं अन्य नियम एवं शर्ते अच्छी तरह पढ़ने/समझने के उपरान्त यह आवेदन दिया जा रहा है। मै बी0सी0एस0टी0 द्वारा निर्धारित सभी नियमों/शर्तो के अनुसार आवंटित ईकाई की संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ।
मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गये सभी तथ्य/संलग्न अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। निविदा में किसी भी स्तर पर इन्हे गलत पाये जाने पर बी0सी0एस0टी0 यथोचित आवश्यक कारवाई करने हेतु स्वतंत्र होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर
एवं मुहर

FINANCIAL BID

अनुबन्ध के आधार पर सुरक्षा प्रहरी की कार्य सेवा हेतु आवेदन पत्र

लिफाफा नं0–11 प्रपत्र– क (FINANCIAL Bid)

1 निविदा संख्या:–

2 निविदादाता का नाम:–

3 वर्तमान पता:–
(दूरभाष सहित)

4 स्थाई पता:–
(दूरभाष सहित)

5 आवेदक द्वारा कोट किये गये दर की राशि:–

(1) सैनिक सुरक्षा/असैनिक सुरक्षा प्रहरी का दर सभी कर/ जी0एस0टी0 सहित(प्रतिदिन /प्रति माह प्रति गार्ड 26 दिनों की गणना के आधार पर) :–

(2) सुपरवाईजर का दर सभी कर/ जी0एस0टी0 सहित– प्रतिदिन /प्रतिमाह 26 दिनों की गणना के आधार पर)

नोट:– 1. उपरोक्त दर सरकार द्वारा न्युनतम पारिश्रमिक दर पर ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0 अंशदान की राशि के साथ प्रति सुरक्षाकर्मी का प्रतिमाह/प्रतिदिन है।

2 उपरोक्त दर के अलावे तारामंडल को किसी प्रकार की अन्य राशि देय नहीं होगी। उपरोक्त दर न्यूनतम एक वर्ष के लिये मान्य होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर
एवं मुहर